झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
संख्या–05

त्रयोदश (शीतकालीन) सत्र
गुरूवार, दिनांकः–21 दिसम्बर, 2023 ई०।

समयः–11:00 बजे पूर्वा० से 07:03 अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. प्रश्नकाल

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआः–

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या–67

अनागत कुल–67 क्रम संख्या–181 से 247 तक।

(माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव ने व्यवस्था पर अपनी बात रखते हुए कहा कि आज के सभी समाचार–पत्रों में यह प्रकाशित किया गया है कि श्री बाबूलाल मराण्डी, स0वि0स0 को सदन में बोलने का मौका नहीं दिया गया, जो सरासर सदन की अवमानना है और आसन पर आक्षेप है। यह विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। आसन पर मिथ्या आक्षेप लगाने के लिए इनपर अविलम्ब कार्रवाई होनी चाहिए। तत्पश्चात् नेता प्रतिपक्ष श्री अमर कुमार बाउरी ने आसन से आग्रह किया कि माननीय सदस्य श्री बाबूलाल मराण्डी जी को सदन के अंदर बोलने का मौका न दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। वे इसी सदन के एक सम्मानित सदस्य हैं और राजधनवार विधान सभा क्षेत्र के चार लाख जनता का प्रतिनिधि होने के नाते उन्हें भी सदन में बोलने का अधिकार है।

(पक्ष–विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोंक–झोंक व शोरगुल के कारण 11:20 बजे पूर्वा0 में सदन की कार्यवाही 12:30 बजे अप0 तक के लिए स्थगित करने की घोषणा आसन से की गयी)

(स्थगनोपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

2. शून्यकाल की सूचनायें

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–303 के तहत आज के लिए स्वीकृत शून्यकाल की सूचनाओं में से माननीय सदस्य श्री उमाशंकर अकेला एवं डॉ0 इरफान अंसारी द्वारा सदन में शून्यकाल की सूचना पढ़ी गयी तथा शेष शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ मानते हुए लिखित उत्तर के लिए संबंधित विभागों में भेजे जाने हेतु आसन से निदेश दिया गया।

3. सभा मेज पर प्रतिवेदन का रखा जाना

1. आसन से पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री वित्त, डॉ0 रामेश्वर उराँव द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद–151(2) के अनुसरण में 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का झारखण्ड राज्य के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का झारखण्ड राज्य का वित्त लेखे खण्ड–01 एवं 02 तथा विनियोग लेखे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा की अनुमति से सदन पटल पर रखा गया।
2. आसन से पुकारे जाने पर प्रभारी मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, श्री आलमगीर आलम द्वारा **Commission of Inquiry Act, 1952** की धारा–3(4) के प्रावधानों के तहत जाँच प्रतिवेदन तथा विभागीय आदेश–5500, दिनांक–29.09.2023 की एक प्रति सभा पटल पर रखा गया।

4. सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

आसन से पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री पथ निर्माण विभाग, श्री बादल द्वारा झारखण्ड पथ विकास निधि अधिनियम, 2011 की धारा–13(i) के अनुपालन में गठित नियमावली के आलोक में झारखण्ड राज्य पथ विकास निधि नियमावली–2012 की एक प्रति अधिनियम 2011 की धारा–13(ii) के तहत् सभा पटल पर रखा गया।

(शोरगुल के कारण 12:48 बजे पूर्वा0 में सदन की कार्यवाही 2:00 बजे अप0 तक के लिए स्थगित करने की घोषणा आसन से की गयी)

(अन्तराल)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

5. गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएँ

पंचम् झारखण्ड विधान सभा के त्रयोदश (शीतकालीन) सत्र में निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा गैर–सरकारी संकल्प की सूचनाएँ पढ़ी गयी, जिन्हें सरकारी उत्तर के पश्चात् उनके द्वारा वापस लिया गया:–

क्र०सं०	माननीय सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	स्थिति
1.	श्री दशरथ गागराई, स०वि०स०	झारखण्ड अलग राज्य के लिए हुए आंदोलन में पुलिस द्वारा किये गये गोलाबारी में मारे गये शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराना।	वापस
2.	श्री अमित कुमार मण्डल, स०वि०स०	गोड्डा–राँची इन्टरसिटी ट्रेन नं0–18619–18620 का विस्तारीकरण कराना।	वापस
3.	श्री लोबिन हेम्ब्रम, स०वि०स०	पाकुड़ जिलान्तर्गत अगरापाड़ा अंचल में बगैर भू–अर्जन के 846 हेक्टेयर रैयती भूमि WPDCL के नाम Mining Lease का आवंटन Lease Deed Execute कर व्यापक पैमाने पर कोयले की तस्करी को अंजाम दिये जाना साथ ही पाकुड़ में NON-SELLABLE LAND को DEED NO-3458/22 से 3481/22 तक कुल संख्या–24, साहेबगंज में DEED NO-3064/22, 3096/22 एवं 3333/22 कुल–3 तथा 32 फर्जी पंजी–2 दर्ज किया जाना तथा Land की खरीद–बिक्री में प्रति एकड़ मूल्य निर्धारण में बड़े पैमाने पर घपला/घोटाला संबंधित विषय की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग करना।	ध्वनिमत से अस्वीकृत
4.	श्री विनोद कुमार सिंह, स०वि०स०	राज्य सरकार स्नातक में अध्ययनरत लड़कियों को परिवहन भत्ता के रूप में 2000/– रूपये प्रतिमाह देने की गारंटी कराना।	वापस
5.	श्री राजेश कच्छप, स०वि०स०	सी0एन0टी0/एस0पी0टी0 जैसी प्रभारी कानूनी उपायों के रहने के बावजूद विस्थापन–पलायन तथा संसाधनों की गैर कानूनी लूट, Tribal Land की Nature बदलने का खेल, Land Records में छेड़छाड़–हेराफेरी, जालसाजी को उद्योग का रूप देने से आदिवासी–मूलवासी के अस्तित्व में हो रहे खतरे के मद्देनजर सशक्त उच्चस्तरीय संवैधानिक क्षमता संपन्न आयोग (जाँच) की गठन करने की मांग सरकार से किया जाना।	वापस
6.	श्री कमलेश कुमार सिंह, स०वि०स०	पलामू जिला के छतरपुर अंचल के बटाने जलाशय योजना का वेल्ड गेट को गिराकर जलाशय में जल का भंडारण सुनिश्चित किया जाना।	वापस
7	सुश्री अम्बा प्रसाद, स०वि०स०	रामगढ़ जिला अंतर्गत पतरातू प्रखण्ड क्षेत्र में सरकारी डिग्री महाविद्यालय खोला जाना।	वापस

8	श्री जयप्रकाश भाई पटेल, स०वि०स०	—	अपृष्ठ
9	श्री मथुरा प्रसाद महतो, स०वि०स०	धनबाद जिला में हवाई अड्डा का निर्माण कराया जाना।	वापस
10	श्री, सुदिव्य कुमार, स०वि०स०	गिरिडीह जिलान्तर्गत डुमरी पथ के जोड़ा पहरी से होते हुए गिरिडीह–टुण्डी रोड के चतरो–बेंगाबाद के गहुआर तक बाईपास सड़क का निर्माण किया जाना।	वापस
11	श्री बिरंची नारायण, स०वि०स०	—	अपृष्ठ
12	श्री नारायण दास, स०वि०स०	देवघर में उच्च न्यायालय की अतिरिक्त बेंच की स्थापना।	वापस
13	श्री रामचन्द्र सिंह, स०वि०स०	लातेहार जिलान्तर्गत सभी अंचलों में हाल सर्वे में हुई त्रुटियों को मानते हुए आम जनता को जमीन संबंधी हो रही परेशानियों के मद्देनजर रिविजनल सर्वे का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाना। साथ ही रिविजनल सर्वे का कार्य पूर्ण होने तक नया खतियान पर रोक लगाते हुए वर्ष 2015–16 तक लागू पुराना खतियान एवं पंजी–2 को आधार मानते हुए लगान रसीद काटने का प्रावधान सुनिश्चित कराना।	वापस
14	डॉ0 लम्बोदर महतो, स०वि०स०	प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक कुड़मालि भाषा के लिए वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे त्रुटिपूर्ण कुरमाली (KURMALI) शब्द को पूर्णतः विलोपित कर "कुड़माली"(KUDMALI) के रूप में संशोधन कराने के साथ ही यू0जी0सी0 को भी पत्र लिखकर कुरमाली (KURMALI) के स्थान पर कुड़मालि संशोधन कराना।	वापस
15	श्री समीर कुमार महान्ती, स०वि०स०	बहरागोड़ा विधान–सभा जैसे एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र के विकास के मद्देनजर ब्रिटिशकालीन निर्मित सामरिक हवाई अड्डा के बेकार पड़े भू–खण्ड पर लघु उद्योग की स्थापना करने हेतु समुचित पहल किया जाना।	वापस
16	श्री निरल पुरती, स०वि०स०	पश्चिम सिंहभूम जिला के तांतनगर प्रखण्ड अंतर्गत तांतनगर ओ0पी0 को उत्क्रमित करते हुए थाना बनाया जाना।	वापस
17	श्री अनन्त कुमार ओझा, स०वि०स०	राजमहल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत उधवा प्रखण्ड के उद्धव (उदय) नाला, दज्जो नाला, राधानगर से आतापुर–शुक्रवासिनी झील–फरूका (प0 बंगाल की सीमा तक) गज्जी नाजा, राजमहल प्रखण्ड अंतर्गत डोमजल्ला नहर से ननसुक मौजा तक प्राकृतिक नहर सहित गुनिहारी पंचायत तथा अंश पंचायत प्राणपुर कोयला बाजार धनपट्टा नदी से ननसुक मौजा तक प्राकृतिक नहर तथा साहेबगंज ग्रामीण प्रखण्ड अंतर्गत बचोहिया नहर–नाला की सिंचाई संबंधी महत्ता को देखते हुए अविलम्ब गहरीकरण व पक्कीकरण कराया जाना।	वापस
18	श्री मनीष जायसवाल, स०वि०स०	हजारीबाग में अपराध पर नियंत्रण तथा यातायात की सुविधा हेतु राँची के तर्ज पर सी0सी0टी0वी0 के साथ–साथ यातायात सिग्नल लाईट की व्यवस्था किया जाना।	वापस
19	श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता, स०वि०स०	मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना अंतर्गत राज्य के अंदर/बाहर के अस्पतालों में बेहतर ईलाज हेतु जिलों में अतिरिक्त कोष मुहैया	वापस

		कराया जाना तथा आयुष्मान कार्ड से पाँच लाख रूपये तक सभी गंभीर बीमारियों के ईलाज हेतु सरकारी व निजी अस्पतालों में सरकार से सुविधा मुहैया कराया जाना।	
20	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, स०वि०स०	गोड्डा जिले के महागामा प्रखण्ड स्थित नव–निर्मित डिग्री कॉलेज में पठन–पाठन का कार्य शैक्षणिक सत्र 2024–25 से सुचारू रूप से प्रारंभ कराया जाना।	वापस
21	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता, स०वि०स०	पलामू जिला के पाँकी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत प्रखण्ड पाँकी में अमानत नदी पर अमानत बराज को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराकर किसानों के खेतों तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।	वापस
22	श्री सोनाराम सिंकू, स०वि०स०	पश्चिमी सिंहभूम जिला के जगन्नाथपुर नोवामुण्डी प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम–गितिलपी टोला, जारदीसाई, जुगीनन्दा, कदाजामदा एवं आस–पास के ग्रामों में प्रत्येक वर्ष जंगली हाथियों द्वारा धान, रबी फसल एवं जान–माल की क्षति पहुँचता है, जिसपर राज्य सरकार या जिला प्रशासन द्वारा टीम गठन कर किसानों को क्षतिपूर्ति का मुआवजा देने एवं जंगली हाथियों को खदेड़ने का कार्य करवाया जाना।	वापस
23	श्री दीपक बिरूवा, स०वि०स०	पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत खुंटपानी प्रखण्ड के तीन पंचायतों यथा : बरकेला, पण्डावीर एवं बड़ा लागिया के सभी प्रखण्ड स्तरीय कार्य एवं विभागों से संबंधित कार्यों का संचालन सदर प्रखण्ड चाईबासा से किया जाना।	वापस
24	डॉ0 इरफान अंसारी, स०वि०स०	जामताड़ा जिलांतर्गत प्रखण्ड जामताड़ा में मेडिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराया जाना।	वापस
25	श्री सरयू राय, स०वि०स०	झारखण्ड राज्य में स्थानीय नीति निर्धारित करने में 1932 खतियान का समावेश करने के साथ ही 1932 से 2000 और 2000 से 2023 के बीच की अवधि के सामाजिक, आर्थिक–औद्योगिक एवं वैधानिक परिदृश्यों के परिणामों पर विचार किया जाना ताकि ससमय नियोजन हो सके।	वापस
26	श्री किशुन कुमार दास, स०वि०स०	चतरा जिलांतर्गत लावालौंग से रिमी रामपुर गाँव एवं लालौंग से भुसाड़ गाँव को जोड़ने वाले सड़क का निर्माण कराया जाना।	वापस
27	श्री अमित कुमार यादव, स०वि०स०	कोडरमा जिलांतर्गत चंदवारा प्रखण्ड के काको पंचायत में गबनपुर–गराचडीह पथ के बीच दूधी नदी पर नया पुल का निर्माण कराया जाना।	वापस
28	श्री राज सिन्हा, स०वि०स०	धनबाद में लगातार व्यवसायियों को मिल रहे धमकी भयादोहन एवं गोली मारने की घटना को रोकने के लिए ए0डी0जी0 स्तर के पदाधिकारी के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 गठन कर कार्रवाई कराया जाना।	वापस
29	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, स०वि०स०	कोलेबिरा, जलडेगा एवं बानो प्रखण्डों को मिलाकर कोलेबिरा अनुमण्डल का निर्माण किया जाना।	वापस
30	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, स०वि०स०	राँची जिलांतर्गत मांडर प्रखण्ड के हेसल घुघरी से चान्हों प्रखण्ड के पहाड़ टोली भाया, मधुकम, बरवाटोली, हर्रा, हतनई, टँगरा टोली, लेप्सर, तरंगा, सोपारम तक की पथ का निर्माण कराया जाना।	वापस
31	डॉ0 सरफराज अहमद, स०वि०स०	गिरिडीह सदर प्रखण्ड को गिरिडीह पूर्वी एवं गिरिडीह पश्चिमी प्रखण्डों में विभाजित कर गाण्डेय प्रखण्ड के सभी पंचायतों का कार्य	वापस

		गिरिडीह पूर्वी प्रखण्ड से कराया जाना।	
32	श्री सुदेश कुमार महतो, स०वि०स०	झारखण्ड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की परीक्षा की निर्धारित तिथि (16 और 17 दिसम्बर) के ठीक पहले चयनित एजेंसी द्वारा निर्धारित तिथि को परीक्षा कराने में असमर्थता जताने का कारण स्पष्ट कराना।	वापस
33	श्री आलोक कुमार चौरसिया, स०वि०स०	पलामू जिलांतर्गत मेदिनीनगर शाहपुर–चैनपुर पथ में पड़ने वाले शहर का व्यस्ततम कोयल नदी पुल पर आवागमन का भार अधिक होने के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है। जनता के आवागमन में हो रही कठिनाईयों को देखते हुए जन सुविधा हेतु एक अतिरिक्त पुल का निर्माण तथा पुल के दोनों ओर फोर लेन पथों का चौड़ीकरण कराना।	वापस
34	श्री प्रदीप यादव, स०वि०स०	राज्य में जाति जनगणना कराते हुए पिछड़ों की आबादी के अनुरूप सरकारी सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण दिलाना।	वापस
35	श्रीमती पुष्पा देवी, स०वि०स०	पलामू प्रमण्डल के अंतर्गत छतरपुर अनुमंडल को जिला बनाया जाना।	वापस

इसके उपरान्त आसन की अनुमति से माननीय मुख्यमंत्री सह सदन नेता, श्री हेमन्त सोरेन ने सरकारी वक्तव्य दिया जिसमें वर्त्तमान सरकार द्वारा अब तक हासिल की गयी उपलब्धियों तथा किये जा रहे विकासात्मक कार्यों का विस्तार से उल्लेख करते हुए अपनी प्रबल भावनाओं को भी अभिव्यक्त किया।

(इस क्रम में विपक्ष के कतिपय माननीय सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।)

6. समापन भाषण

पंचम् झारखण्ड विधान सभा के त्रयोदश (शीतकालीन) सत्र के समापन के अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने दिनांक–15 दिसम्बर, 2023 से प्रारंभ होकर 21 दिसम्बर, 2023 तक हुए कुल 5 कार्य दिवसों के एक छोटे सत्र की महत्ता को दर्शाते हुए कहा कि यह सत्र छोटा जरूर था, परन्तु विधायी कार्यों के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण रहा। हम सब ने निहित समय का सदुपयोग किया। सदन को कुछ अंतरालों के लिए स्थगित भी करना पड़ा।

उन्होंने संपूर्ण सत्र के दौरान पूछे गए प्रश्नों, शून्यकाल की सूचनाएँ, ध्यानाकर्षण सूचनाएँ, प्राप्त निवेदन एवं विधेयक के सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरा सदन के समक्ष प्रस्तुत किया।

यह सत्र निश्चित रूप से एक छोटा सत्र था पर कई मायनों में इस सत्र के दौरान लिये गये निर्णय ऐतिहासिक थे, यथा : इस सत्र में सदन द्वारा झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 के माध्यम से झारखण्ड आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने का काम किया गया है। साथ ही खतियान आधारित स्थानीयता जो राज्य गठन के मुलभूत उद्देश्यों में से एक है और राज्य की अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उसे लागू करने के लिए राज्य सरकार ने पिछले साल 11 नवम्बर को **"झारखण्ड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक, 2022"** को ध्वनिमत से पारित कर सहमति हेतु माननीय राज्यपाल के पास भेजा था। लम्बे अंतराल के बाद माननीय राज्यपाल का संदेश हमें प्राप्त हुआ और पुनः इस सभा ने सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित किया है।

इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष ने कहा कि–

"मैं इस पवित्र आसन से आप सभी माननीय सदस्यों से यह आग्रह करना चाहूँगा कि खतियान आधारित स्थानीयता का प्रश्न हम सब के राजनैतिक उद्देश्यों से बड़ा है। यह प्रश्न राज्य गठन के उद्देश्यों से जुड़ा है।

अतः हमसब केवल संख्यात्मक समर्थन इसे प्रदान न करें बल्कि कानून के रूप में इसे स्थापित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभायें। हमें अपने राजनैतिक उद्देश्यों से ऊपर उठकर एक झारखण्डी के रूप में इस विषय को अपने दिल से लगाना होगा। विश्व में लोकतंत्र के सबसे बड़े ध्वजवाहकों में से एक अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में दास प्रथा के उन्मूलन के पक्ष में अभियान चलाते हुए अपने कालजयी भाषण में कहा था कि A

House divided against itself cannot stand. झारखण्ड दशकों से उपनिवेशवाद का शिकार रहा है। राज्य के गठन के लाभांशों को हम राज्य के अंतिम व्यक्ति तक तबतक नहीं पहुँचा पायेंगे, जबतक यह खतियानी आधारित स्थानीयता कानून का रूप नहीं ले लेती है।

माननीय सदस्यगण, आज जब हम पंचम् झारखण्ड विधान सभा के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तब अध्यक्ष के रूप में नहीं बल्कि एक आम सदस्य के रूप में मैं आप सबों से बड़ी विनम्रता से यह कहना चाहूँगा कि वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में सदन की कार्यवाही कम समय के लिए निर्धारित की जाती है और हम सभी माननीय सदस्यों के समक्ष जनआकांक्षाओं का अम्बार इतना विशाल होता है कि सदन की कार्यवाही के सीमित समय में उन्हें पूरा किया जाना कठिन है। इसके बावजूद राजनैतिक उद्देश्यों से बार–बार सदन की कार्यवाही बाधित की जाती है। मेरा मानना है कि सदन की कार्यवाही इस प्रकार बाधित किये जाने से आमजनों को बड़ी हानि होती है एवं अफसरशाही को स्वेच्छाचारी बनने का अवसर मिल जाता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर कार्यपालिका को जवाबदेह बनाना है और जन कल्याण के अपने इस पवित्र कर्तव्य का निर्वहन करना है तो हम सभी सदस्यों को पार्टी हित से ऊपर उठकर सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करना चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति डॉ0 के0आर0 नारायणन ने राज्यसभा के सभापति के रूप में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी–

"In most cases, disorders in the House arise out of a sense of frustration felt by members due to lack of opportunities to make his point, or clear his chest of grievances of the people that move him or out of the heat of the moment. They are perhaps easier to deal with. What is more difficult to tackle is planned parliamentary offences and deliberate disturbances for publicity or for political motives."

लोकतंत्र यानि डेमोक्रेसी को तीन D पर आधारित रखा जाना चाहिए। ये तीन D है, Debate and deiscussion यानि वाद'–विवाद, Decent यानि असहमति और अंत में Decision यानि निर्णय। लोकतंत्र यानि डेमोक्रेसी डी यानि Disruption का कोई स्थान नहीं होना चाहिए।

लोकतंत्र के इस मंदिर में वाद–विवाद के माध्यम से ही जन–समस्याओं के समाधान संभव है। परन्तु विवाद की ऊष्मा में जन–कल्याण के उद्देश्य खत्म न हो जाए, इसका ध्यान हमसब को रखना है। आने वाले त्योहारों क्रिसमस, सोहराय एवं मकर सक्रांति के साथ–साथ नव वर्ष की मंगल कामनाएं।

तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई।

राँची,
दिनांक–21 दिसम्बर, 2023

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।